



3.	<b>Annexure P-2:- True copy of the Deed dated 20.03.1987</b> executed in favour of Mrs. Naseem Bano with respect to the shops situated over Khasra No. 1578, Village Nanauta	<b>14-22</b>
4.	<b>Annexure P-3:- True certified copy of the 20.04.1974 Revenue Order</b> converting Khasra No. 1578 from 'Johad' to 'Abadi', with related municipal records of constructed shops, supported by affidavits of shop owners	<b>23-310</b>

**THROUGH**

*Priyanka*

**Place: New Delhi**

**Priyanka swami**

**Date: /12/2025**

**Advocate**

**F-13, Jangpura, New Delhi 110014**

**E-mail: [advpriyankaswami@gmail.com](mailto:advpriyankaswami@gmail.com)**

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
EXECUTION APPLICATION NO.68 /2025  
IN  
ORIGINAL APPLICATION NO.457/2025**

**GULSHAN KUMAR ALIAS                      APPLICANT  
GULSHAN CHAUDHARY**

**VERSUS**

**STATE OF UTTAR PRADESH &                      RESPONDENT(S)  
ORS.**

**REPLY ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE, SAHARANPUR  
WITH AFFIDAVIT**

**MOST RESPECTFULLY SHOWETH:-**

1. That In compliance with the order passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in Execution Application No. 68 of 2025 arising out of Original Application No. 457 of 2025 titled *Gulshan Kumar @ Gulshan Chaudhary vs. State of Uttar Pradesh & Others*, the point-wise and stone-wise reply of the answering respondents is submitted as follows.
2. The contents mentioned in Point Nos. 1 and 2 of the application are statements already made before the Hon'ble Tribunal. Since no

substantive issue requiring clarification or rebuttal arises therefrom, no further comment is necessitated at this stage.

3. That with respect to the contentions raised in Point No. 3, the manner in which the contents have been framed is misleading and wholly unacceptable. There exists no pond or water body on Khasra No. 1578, Village Nanauta, admeasuring 1.2080 hectares, for the past approximately fifty years. The land stands duly recorded in the revenue records as *abadi* (*habitated land*). The answering Respondent Nos. 5 and 8 are not involved in any fresh construction activity at the site. The shops located upon the said plot have been continuously occupied by their lawful owner, Mrs. Naseem Bano, who had only initiated renovation of pre-existing old shops, without altering the status of the land or violating any statutory provision. It is reiterated that there is no pond or water body either on or adjacent to Khasra No. 1578.
4. That further, as the land has been recorded as *abadi* since several decades and occupied as such, the legal jurisdiction in the matter necessarily lies before the competent Civil Court. In pursuance of her lawful possession, Civil Suit No. 224/25 titled *Mrs. Naseem Bano vs. Gulshan Chaudhary & Others* was preferred before the Hon'ble

Civil Judge, J.D., Deoband, Saharanpur, wherein a categorical injunction order dated 05.08.2025 has been passed restraining interference in possession. Respecting the order of the Hon'ble Tribunal dated 16.09.2025, all construction work has been stopped forthwith and possession has been duly handed over to the Nagar Panchayat, Nanauta. Therefore, the allegation that the order of the Hon'ble Tribunal remains uncomplid is factually incorrect and unsustainable. **True copy of the Injunction Order dated 05.08.2025 passed in Civil Suit No. 224/25 by the Court of Civil Judge (Junior Division), Deoband, Saharanpur, restraining interference over the property situated at Khasra No. 1578, Nagar Panchayat Nanauta is attached herwith and marked as Annexure P/1**

5. That with respect to Point No. 6, the contents in the form as presented are not acceptable. The answering Respondent Nos. 5 and 8 have neither executed any new construction nor have they engaged any construction contractor or agency at the site. The activities that were being undertaken by the lawful owner, Mrs. Naseem Bano, pertained solely to the renovation and reconstruction of old shops which had already existed on the land. No new

structural addition or encroachment on any alleged water body has taken place at any point in time.

6. That concerning Point No. 7, In strict obedience to the interim order dated 16.09.2025 passed by the Hon'ble Tribunal, all work has been immediately halted and full possession has been transferred to Nagar Panchayat, Nanauta. The compliance is complete and bona fide.
7. That regarding Point No. 8, the assertions are neither correct nor acceptable. The compliance with the Hon'ble Tribunal's order dated 16.09.2025 is complete both in substance and action. No continuing construction work exists. The encroachment stands restrained, possession is with the Nagar Panchayat, and no further physical change is occurring at the site. The National Green Tribunal Act, 2010, came into effect on 02.06.2010, whereas the lawful title and occupancy of the shops by Mrs. Naseem Bano trace back to a valid deed executed on 20.03.1987. Hence, her uninterrupted possession exists long prior to the enactment and therefore is protected under settled civil law principles. **True copy of the Deed dated 20.03.1987 executed in favour of Mrs. Naseem Bano with**

**respect to the shops situated over Khasra No. 1578, Village Nanauta is attached herewith and marked as Annexure P/2**


8. The disputed property situated at Khasra No. 1578, Village Nanauta Pat 1, admeasuring 1.2080 hectares, was originally recorded as *Johad* in Chakbandi Aakar Patra-41 and 45 of Fasli year 1374. However, this characterisation was legally changed over fifty years ago. Vide detailed revenue order dated 20.04.1974 passed by the then Sub-Divisional Magistrate/Pargana Officer, Deoband, the land was duly converted into and recorded as *abadi (habitated land)* under Category 6(2). This status remains unchanged and continues to hold force in present revenue records. There has been no water body on or near the site since decades.
9. That post the said conversion, the land was formally included within the organised development scheme of Nagar Panchayat, Nanauta. Pursuant to Proposal No. 02 dated 24.07.1996, a planned commercial settlement was approved and executed, under which 56 shops were constructed through government expenditure amounting to ₹48.45 lakh. Subsequently, the remaining portion of land was leased through premium for augmenting public revenue, serving public usage and strengthening civic administration. Thus,

the land is legally owned, utilised and administered by the Nagar Panchayat Nanauta. A 2023 Google Map satellite image also affirms that established construction and settlement existed on the site, thoroughly negating the allegation of its being a water body.

10. It is equally essential to note that since the land is duly recorded and utilised as inhabited urban land, the jurisdiction for adjudication of title, possession and civil rights lies with the competent Civil Court. In this regard, Civil Suit No. 224/25 was instituted by Mrs. Naseem Bano, wherein by order dated 05.08.2025 the Hon'ble Civil Court passed a specific injunction restraining interference with her peaceful possession. The property in dispute was also specifically identified in the order through building numbers allotted by Nagar Panchayat, Nanauta. Further, in absolute and bona fide compliance with the order dated 16.09.2025 of the Hon'ble Tribunal, the owner, Mrs. Naseem Bano, has voluntarily halted all renovation activities and possession has already been surrendered to Nagar Panchayat Nanauta. **True certified copy of the 20.04.1974 Revenue Order converting Khasra No. 1578 from 'Johad' to 'Abadi', with related municipal records of constructed shops,**

supported by affidavits of shop owners is attached herewith  
and marked as Annexure P/3

THROUGH



Priyanka swami

Place: New Delhi

Date:09/12/2025

Advocate

F-13, Jangpura, New Delhi 110014

E-mail: [advpriyankaswami@gmail.com](mailto:advpriyankaswami@gmail.com)

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO.457/2025**



**GULSHAN KUMAR ALIAS  
GULSHAN CHAUDHARY**

**APPLICANT**

**VERSUS**

**STATE OF UTTAR PRADESH &  
ORS.**

**RESPONDENT(S)**

**AFFIDAVIT**

I, Manish Bansal, aged about 35 years S/o Ramavtar Bansal is presently posted as District Magistrate Saharanpur, U.P. having its office at Saharanpur.

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Tribunal.
2. That the accompanying Reply has been drafted by our counsel upon my instructions.
3. That the contents of the accompanying Reply are true and correct, and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.



\_\_\_\_\_ 

**DEPONENT**

**VERIFICATION**

Verified on solemn affirmation at Saharanpur on this 11<sup>th</sup> day of December 2025 that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

**IDENTIFIED BY**

**KALEEM AHMAD**  
Advocate  
Reg. No.-10533/01  
Ch.-63, Civil Court, SRF  
Mob.-9359206330



*[Handwritten signature]*

**DEPONENT**

SACU 11845

*[Faint, mostly illegible text, possibly a stamp or secondary signature]*  
San. Manish Ban...  
Kaleem Ahmad




भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA



ਮਨੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ  
Manish Bansal  
ਜਨਮ ਮਿਤੀ/ DOB: 14/01/1990  
ਮਰਦ / MALE



ਪਤਾ:

ਸਪੁੱਤਰ: ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਬਾਂਸਲ,  
ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 207/ਏ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ  
2, ਨੇੜੇ ਬਾਂਸਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ  
ਹਾਰਟ ਸੈਂਟਰ, ਦਸਮੇਸ਼ ਨਗਰ,  
ਸੰਗਰੂਰ, ਸੰਗਰੂਰ,  
ਪੰਜਾਬ - 148001

Address:

S/O. Ram Avtar Bansal, House  
Number 207/A, Street Number 2,  
Near Bansal Hospital and Heart  
Centre, Dashmesh Avenue, Sangrur,  
Sangrur  
Punjab - 148001

ਆਧਾਰ-ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar



73

ANNEXURE P/1



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 414685

Bhadutt Sharma Advocate  
 Reg. No. 1844/86, Ch. No. 97  
 Civil Court, Bareilly, SRE (U.P.)  
 C.O.P. No. 1236/6/2018  
 Mob. No. 9887399444

27  
 06/8/25  
 06-0-15 E. 2018  
 06-8-24  
 06-8-24  
 06-8-24

~~चयाशालम शिवेल लाल लुखिया देवल  
 कठोपुर~~

वापस नं- 224/25

~~फरीमर्च नसीम लाली कामा गुलबान  
 चैतारी डाल~~

~~जायल~~  
 डाकिया दि 05-8-2018  
 वी दामपुन रतन

06-8-24  
 06-8-24

न्यायालय सिविल जज (जू.डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबन्द, साहारनपुर।

वाद संख्या 224 सन 2025

श्रीमति नसीम बानो बनाम गुलशन चौधरी आदि।

**05.08.2025**

पत्रावली पेश हुई। वादिया की ओर से 6 ग 2 प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र 7 सी 2 प्रस्तुत करके याचना की गयी है कि बजरिये हुक्मइस्तनाई आरजी प्रतिवादीगण को इस्तना फरमायां जावे कि प्रतिवादीगण वादपत्र के अन्त में वर्णित वादिया की सम्पत्ति ए०बी०सी०डी० में वादिया के शांतिपूर्ण मालिकाना कब्जे व दखल व में कोई रुकावट आदि स्वयं या दीगर एजेन्सी द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करके कोई हस्तक्षेप ना करे ना कराये।

मुन्सरिम की आख्यानसार प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से कोई कैविएट नहीं है।

वादिया ने अपने प्रार्थनापत्र 6 ग 2 के समर्थन में सूची 11 सी से एक किता सत्यप्रतिलिपि बैनामा दिनांकी 20.03.1987 एवं नकल असेसमेंट नगर पंचायत नानौता दाखिल किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया है।

अवलोकन से विदित है कि वादिया ने अपने प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि वादपत्र के अन्त में दी गयी सम्पत्ति ए०बी०सी०डी० आवासीय प्लाट का पंजीकृत बैनामा दिनांकित 20.03.1987 से मालिक काबिज चली आती है। वादिया द्वारा अपने वादपत्र में कथन किया गया है, की उक्त सम्पत्ति ए०बी०सी०डी० को खरीदने के उपरांत समय समय पर अपनी मेहनत से 6 दुकानात व मकान का निर्माण किया, जो वादिया के शांतिपूर्ण कब्जे व इस्तमाल में चले आ रहे है, तथा सम्पत्ति वर्णित वादपत्र पर निर्मित दुकानात व मकान पर वादिया का नाम नगर पंचायत नानौता में वर्ष 1995 से लगातार दर्ज चला आता है, जिसका नगर पंचायत नानौता में भवन नंबर 1/1551, 1/1538, 1/1539, 1/1550, 1/1548, 1/1545, 1/1542 है। अपने कथनों के समर्थन में वादिया द्वारा विवादित सम्पत्ति का पंजीकृत बैनामा दिनांकित 20.03.1987 की सत्यापित प्रति कागज सं. 12 सी 1 दाखिल किया गया है। जिसके अवलोकन से विदित है कि वादिया द्वारा एक प्लाट श्रीमती प्रवेश कुमारी पत्नी धर्मपाल से क्रय किया गया था। वाद पत्र में दर्शित नक्शा नजरी की चौहद्दी बैनामा दिनांकित 20.03.1987 से मिलान करती है। विवादित सम्पत्ति ए०बी०सी०डी० की वर्तमान चौहद्दी पूरब में दिल्ली-साहारनपुर रोड, पश्चिम में सम्पत्ति अशफाक आदि, उत्तर में दुकान अमित, दक्षिण में गली अंकित है। वादिया द्वारा नगर पंचायत नानौता द्वारा जारी नकल असेसमेंट वर्ष 1995 से 2025 तक की सत्यापित प्रति कागज सं- 13 सी 1 प्रस्तुत की गयी है, जिसमें विवादित सम्पत्ति के मालिक के रूप में कॉलम नंबर- 7 में वादिया का नाम अंकित है। अतः वादिया विवादित सम्पत्ति पर प्रथम दृष्टया मालिक व काबिज प्रतीत होती है। वादिया द्वारा कथन किया गया है कि प्रतिवादीगण वादियां को धमकी दे रहे है कि वह वादिया को जायदाद जैल से बेदखल कर वादिया के शांतिपूर्ण कब्जे व दखल में हस्तक्षेप करके विवादित सम्पत्ति पर अवैध कब्जा करेंगे। वादिया द्वारा प्रतिवादीगण को विवादित सम्पत्ति पर अवैध कब्जा निषेधित किये जाने हेतु वादिया द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु यह वाद संस्थित किया गया है। वादिया एक 75 वर्ष की वृद्ध महिला है। अतः प्रस्तुत प्रकरण आवश्यक प्रकृति का प्रतीत हो रहा है। यदि प्रस्तुत मामले में वादिया को कोई अनुतोष नहीं दिया गया तो वादिया के वाद लाने का उद्देश्य विफल हो सकता है। अतः ऐसी स्थिति में विवादित भूमि को सुरक्षित व संरक्षित रखने के आशय से अन्तरिम निषेधाज्ञा का आदेश न्यायोचित होगा।


मात्रीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय राम रामेश्वरी देवी बनाम निर्मला देवी 2011(8) एस.सी.सी. 249 के प्रकाश में तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में निम्नांकित आदेश पारित किया जाता है-

1. प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि नियत तिथि तक वादपत्र के अन्त में वर्णित विवादित सम्पत्ति आवासीय प्लाट ए०बी०सी०डी० स्थित वाके मौहल्ला शेखजादगान, कस्बा नानौता परगना व तहसील रामपुर मनिहारन जिला साहारनपुर ( जिसका नगर पंचायत नानौता में भवन नंबर 1/1551, 1/1538, 1/1539, 1/1550, 1/1548, 1/1545, 1/1542 है ) में वादिया के शांतिपूर्ण कब्जे में कोई व्यवधान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न करे ना कराये।

2. उपर्युक्त आदेश तभी प्रभावी होगा जब वादिया इस आशय की अपडरटेकिंग शपथपत्र के साथ दाखिल करे कि यदि भविष्य में उसका दावा गलत पाया जाता है तो वह बाजार मूल्य पर प्रतिवादीगण को एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा से हुयी असुविधा/ क्षति हेतु क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा।

अ


3. वादिया आदेश 39 नियम 3 का अनुपालन अबिलम्ब करें।  
उपर्युक्त का पालन न किये जाने अथवा वादिया द्वारा प्रार्थनापत्र 6 ग 2 की सुनवाई में हीलाहवाली किये जाने पर एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।  
पत्रावली वास्ते आपत्ति/ सुनवाई 6 ग 2 दिनांक 04.09.2025 को पेश हो

  
05/08/25

(आशीषानन्द)

सिविल जज (जू.डि.)/जे.एम.  
देवबन्द, सहारनपुर।


**बादह-** वादिया की ओर से प्रार्थनापत्र 8 सी2 अमीन परवाना जारी किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया न्यायहित में अमीन परवाना जारी हो। अमीन नियत दिनांक तक विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में पक्षकारों पर तामील कराते हुए मौके का नक्शा नजरी तैयार कर अपनी आख्या नियत दिनांक से पूर्व न्यायालय में प्रस्तुत करें।


  
05/08/25

(आशीषानन्द)

सिविल जज (जू.डि.)/जे.एम.  
देवबन्द, सहारनपुर।







मूल्य ११०० रु.

1. खनामा रु 49000/-
2. आजारी कीमत रु 49000/-
3. विडर क्षेत्रफल 183.60 का मीटर जिसमें 36 का मीटर क्षेत्रफल हुआ है
4. निर्माण का वर्ष. स. 1976 ई०
5. हाऊस टैक्स इन्टीस एन कर्षिक ✓
6. सफिल एट (जान का मीटर) रु 150/- ✓
7. शुभकाली कार्षिक धराना - एक टना एन टैक्स
8. डील टैम्प रु 4655/-

दस्तावेज

श्री/श्रीमती प्रवेश कुमारी पत्नी  
 श्री/श्रीमती विद्या कुमारी पत्नी  
 श्री/श्रीमती विद्या कुमारी पत्नी

मैं कि धीपति प्रवेश कुमारी पत्नी

की धराना-जाति विधी निवासी मीटवला सरावरान  
 नानोला पराना एमडु तहसील डोबन्द जिला  
 सदाचरु की डू


74

77

पत्रावली

..... (500) ..... 2

..... कर्मिका प्रवेश कुमारी पत्नी .....  
..... नामांता ..... वेदामा



नामांता फीस जमना निसाना  
49000/ 251/ 6/ 257/ 600

श्री प्रवेश कुमारी  
पति धर्मपाल पत्नी गुरु बराम


नि. सरावगणान नामांता परशु

देवदत्त म जाज दि. 20-3-87

रकम 1/2 बजे दिन के प्रस्तुत किया गया प्रवेश कुमारी  
स 20  
20-3-87

रकम का निष्पादन जमा श्री प्रवेश कुमारी

2 49000/ पूर्व प्राप्ति न के ...  
प्र मसज पाकर स्वीकार किया।



धर्मपाल  
पति धर्मपाल पत्नी गुरु बराम

नि. सरावगणान नामांता

श्री जहीर बिरा  
पति जहीर बिरा पत्नी गुरु बराम

नि. काशी काशी नामांता  
स 20  
20-3-87



प्रमाण संख्या १२११२१

(2)

जो कि आज रात पोल की तन्हा मालिक  
 विक्रेताणी है जो हर उका के का कार्ड व मुद्रा  
 व एक हूँ जिसके हस्तांतरण जाई कते के मुद्रा


सादी

विक्रेताणी को कुल अहिलारात हासिल है द्वितः मुद्रा  
 विक्रेताणी के धर्मे स्वल्प मरिहत्क स्थिर गुड से-  
 खिन्दा है नागरीक आज रात निप्र लिखित मफल का व  
 मकभुजा क्षपना छावाडी स्थित मीलवा शेरव जादगान

नहीरबाग का जमीन का निप्र लिखित  
 मकभुजा क्षपना मीलवा

मानोता परगना एपुत तलसीन देवदर

79 74 20/08/87  
4000



प्रवेशागमारी

ambles

गरीब



सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार लिये गये हैं  
सभी प्रतीत होते हैं काली इन्क में  
हस्त लिखित हैं।



Sample  
2013187



पुणे २१ जून २०१२

साहब

Arvind Kulkarni  
Shri. Pravin P. Bhang  
Mumbai (Maharashtra)  
(Arvind Kulkarni)

③

वदल मुकलिंग <sup>49000/-</sup> उन्नयन हजार रुपये कि काय

जिसेके मुकलिंग <sup>24500/-</sup> दोषीस हजार पैन से हने हाने हे

वदल क्रीपति **नशीम बानो** पत्नी की अशाफाकर

अहमद जालि शेख सिद्दीकी निवासी मीठलगा शेखसादगा

नामता पणगा एकर तहसील शेखर को जिन

कीहे निवाककर व लकक बुवासे लगे हे

सिद्ध करी व लोन इली अर कुल किय

एक शेखरी से नकर समत राजि हनी जस

कलगा



(4)

प्रवेशिका

और कबजा व दखल मलकाना गैर फल  
 मीने का इतानी का सपूबी कर दिया वे सब  
 इतानी को पूर्ण कब्जियार हर एक उभर  
 सिद्ध मुक्त विदेतानी वाकत पालडाड जैल उस

सदर

श्री रामदास शिंदे  
 श्री रामदास शिंदे  
 श्री रामदास शिंदे

हो गेले वे जिब मेरा कुछ ताल्लुक या कास्ता  
 किसी उभार से वाकत पालडाड जैल या उसके पत्र  
 से सब इतानी शैष नही रहा और न भविष्य  
 में होगा यदि कोई शरीक सहीम या ठकदार  
 वाकत पालडाड जैल दोषदार पैदा होकर दावा में



(5)

वाराणसी

कुल विद्वान् पण्डित आ उक्त कुल केश  
 कर्ज क अच्युत व मिल किलत केतानी स  
 निरुल पानि तो बुतानी को एक अखतला देगा

श्री

सुधामणि गोदावरी

वि अफना कुल - यान मरी विद्वान् पण्डित आ  
 अिन्य हर उक्त की चल व अचल सच्यति आ  
 पात आस मरी से मल हरे व खल मल

कुड कागुनी जिस तीर-पौरे वसुल करि सुभ

विद्वान् आ मरे अच्युत देव उत्तराधिकारी को

कोई आपत्ती नहीं होगी अत्र इत्येव **बीनामा**

प. इल्लम

V. P. 10 नमोदा म. 15/11/1917




17/11/2018

6

विषय (जालदाद मुक्ति)

दोबाल हमी के लगामी एक किलता सुख  
 मुहाना किमलशी सुख से करे नम सद (60) 50 अर  
 से दक्षिण चोलीय (34) 50 अहते इनके अन्दर  
 एक कमरा दक्षिण उलगा किमलशी (20x20) अ बगल  
 व इमाने गुजा के करी के सिवाइ व सर 22  
 बाजू आदि मल हुमले एक टुकक मुतालि का

उसके





२  
 १९७२/११११११११  
 १

- सद्व्यवस्था - रूप रास्ता काव
- पश्चिम - क्षेत्र का विस्तार
- उत्तर - का राजेन्द्र कुमा
- दक्षिण - निजी रास्ता विस्तार में  
 रास्ता निर्माण कार्य कायम  
 को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम होगा

२० प्रो.श.कु.म.र.

दिनांक :- २०.१.८७ ई

लेखक :- विश्वनाथ कुमार डी.व.के.के.  
 लेखक :- देवनाथ कु.म.र.  
 H.D. उपाध्यक्ष







2- यह कि मुझ शपथकर्ता की माता श्रीमति नसीम बानो पत्नी स्व० मौ० अशफाक सिददीकी ने मौ० शेखजादगान कस्बा नानौता मे सहारनपुर दिल्ली मार्ग के किनारे अरशा दराज पहले एक सम्पत्ति क्रय की थी क्रय करने के उपरान्त उस सम्पत्ति मे 4 दुकाने , पूरब मुहानी दिल्ली सहारनपुर मार्ग के किनारे भूतल पर व उनके ऊपर प्रथम तल पर 4 दुकाने व जानिब दक्षिण वाली गली मे 8 दुकाने दक्षिण मुहानी बनायी थी तथा जिनके उत्तर मे एक कोठा बैनामा क्रय करने से पूर्व का बना था , उक्त कोठे का निर्माण वर्ष बैनामा जात व मौके के अनुसार सन 1976 से पूर्व का है । मेरी माता ने उक्त सम्पत्ति का बैनामा आबादी मे लिया था क्योकि बावक्त बैनामा उसमे आबादी कायम थी , मौके पर बैनामा जात होने से पुर्व व मेरी माता द्वारा बैनामा लेने के बाद कभी भी तालाब नही रहा है व मौके पर हमारे मकान के चारो तरफ अरशा दराज से आबादी बनी हुई है ।

3- यह कि सहारनपुर दिल्ली मार्ग के समय समय पर भराव होने व पुनः निर्माण होने के कारण मुझ शपथकर्ता की माता के द्वारा जो निर्माण कराया गया था वह सडक से काफी नीचे पहुच गया था इस कारण रोजमर्रा व बरसाती पानी जमा होने के कारण तामिरात क्षतिग्रस्त होने के कारण तामिरात का कुछ भाग जर्जर होने के कारण गिर गया था उपरोक्त बैनामा लेने के बाद मुझ शपथकर्ता की माता ने उपरोक्त निर्माण करने के लिये टाउन प्लानिंग कमेटी नानौता से विधिवत रूप से नक्शा भी पास कराया था ।

4- यह कि उपरोक्त क्षतिग्रहस्त हिस्से व सभी दुकान का लेवल सडक के लेवल से नीचा होने के कारण पुरानी तामिरात की जगह पर ही मुझ शपथकर्ता व मेरे भाई अपनी माता की जानिब से नई तामिरात कर रहे थे जिसको देखकर क्षेत्र के भू माफिया व दबंग प्रवृति के व्यक्ति गुलशन चौधरी पुत्र वेदपाल निवासी ग्राम टिकरोल थाना नानौता तहसील रामपुर मनिहरान जिला सहारनपुर ने मुझ शपथकर्ता व मेरे भाईयो को धमकी दी कि या तो मुझे 500000रू० दो नही तो मै तुम्हे तामिरात नही करने दुगां । जब मुझ शपथकर्ता व मेरे भाईयो ने गुलशन चौधरी उपरोक्त की नाजायज धमकी व मांग को अस्वीकार कर दिया तो उसने हमसे रंजिश रखते हुए , मुझ शपथकर्ता व मेरे भाईयो के खिलाफ तरह तरह के हथकण्डे व षडियन्त्र रचकर विभिन्न अदालतो / अधिकारीयो के समक्ष शिकायतो का दौरा शुरु कर दिया । गुलशन चौधरी उपरोक्त की इन बैजा हरकतो से तंग आकर मुझ



IDENTIFIED BY

फरहान

—3—

शपथकर्ता की माता श्रीमति नसीम बानो उपरोक्त ने गुलशन चौधरी उपरोक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय सिविल जज जू0डी0 देवबन्द मे एक वाद सं0 224/2025 इन्जंक्सन सूट दायर करके गुलशन चौधरी उक्त के विरुद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त कर रखी है तथा उक्त वाद आज भी विचाराधीन है । हमारे द्वारा पुरानी दुकानो के स्थानो पर नई तामिरात को बजूम गिरोहबन्दी व नाजायज दबाव बनाकर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप जब उसे अपने अवैध मनसूबो मे कही कामयाबी नही मिली तो उसने मुझ शपथकर्ता व मेरे भाईयो मौ0 शादमान , गुफरान सिददीकी , मौ0 अहकाम सिददीकी के विरुद्ध एक शिकायती प्रार्थना पत्र एन0जी0टी0 कार्यालय दिल्ली को भेज दिया है ।

5- यह कि मुझ शपथकर्ता व मेरे भाईयो ने किसी भी प्रकार से एन0जी0टी0 के द्वारा बनाये गये किसी भी कानून का उलंघन नही किया है ।

प्रत्यापन -यह कि शपथ पत्र का पैरा नं0 1 ता 5 मेरे जाति व इल्म मे सच व सही है इसमे कोई भी तथ्य छिपाया नही गया है ईश्वर सच बोलने मे मेरी मदद करे ।

दिनांक - 03.12.2025

शपथकर्ता-

फरहान

शपथकर्ता-

फरहान


Sworn & Verified Before Me

03/12/2025

KULDEEP SINGH PUNDIR  
ADVOCATE & NOTARY  
Tehsil Rampur Maninagan  
Nanauta (Sre)

IDENTIFIED BY





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

89AE 076004

शपथ पत्र

समक्ष:- सक्षम अधिकारी जनपद सहारनपुर ।

शपथ पत्र ओर से:- श्री गौरव जैन पुत्र बारूमल जैन निवासी मोहल्ला सरावज्ञान कस्बा नानौता  
तहसील रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर ।

शपथकर्ता शपथपूर्वक ब्यान करता है:-

1. यह की मेरा उपरोक्त नाम व पता सब सच व सही है ।
2. यह की मेरा प्लाट दिल्ली रोड पर स्थित खसरा नंबर 1578 मे स्थित है ।
3. यह की मेरे द्वारा दिल्ली रोड पर स्थित प्लाट नंबर 06 दिनांक को पुत्र से क्रय किया गया था । जिसका बैनामा मेरे पास उपलब्ध है । जिसकी छायाप्रति संलग्न है । जिसका मे स्वामी हूँ ।
4. यह कि मैं पिछले 14 - वर्षों से अपने प्लाट पर काबिज़ हु । जब से मे अपने प्लाट पर काबिज़ हु तब से यह भूमि समतल है और इस भूमि पर क्रय विक्रय हो रहे है ।
5. यह की मे अपनी दुकान की नगर पंचायत नानौता की रसीद समय अनुसार कटवा रहा हु उक्त प्लाट खाली है ।

यह की शपथ पत्र का पैरा 01 ता 05 सब सच व सही है मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है । ईश्वर सच बोलने मे मेरी मदद करे ।

Sworn & Verified before me  
Reg. No. - 54823/25

दिनांक

20/11/2018 (U.P.)

20/11/2018 (U.P.)

गौरव जैन  
ह० शपथकर्ता


गौरव जैन

IDENTIFIED BY



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M 958104



नगर पंचायत नानौता, तह० रामपुर मनिहारन, जिला-सहारनपुर द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत नानौता ...प्रथम पक्ष -

गौरव जैन पुत्र श्री बारू मल जैन नि० मौहल्ला- सरावज्ञान, कस्बा, नानौता, तह० रामपुर मनिहारन, जिला- सहारनपुर .....द्वितीय पक्ष-

यह कि द्वितीय पक्ष ने नगर पंचायत नानौता(सहारनपुर) प्रथम पक्ष के खं० नं० 1578 म स्थित मौ० -शेखजादगान, निकट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के दक्षिण में खाली आवासीय प्लॉट नं० 6 प्रथम पक्ष से किराये पर लिया है। प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष में किरायेदारी सम्बन्धी निम्न व्यवस्थाएँ तय पाई है और दोनों इन व्यवस्थाओं के पाबन्ध रहेगे।

1. यह कि प्रथम पक्ष नगर पंचायत नानौता के द्वारा आवासीय प्लॉट नं० 6 (98.38 वर्ग गज) का है। अंकन 1200 रु०(एक हजार दौ सौ रु०) किराये पर लिया है। जो कि वादिक है।

2. यह कि आवासीय प्लॉट नं० -6, के किराये में पहली बार बढोतरी 25 प्रतिशत की 10 वर्ष के बाद स्वतः हो जायेगी। और इसी प्रकार 25 प्रतिशत की बढोतरी आगामी 10 वर्षों के बाद होगी जो केवल दो बार ही की जायेगी।


3. यह कि द्वितीय पक्ष आवंटित प्लॉट का निर्माण प्रथम पक्ष नगर पंचायत नानौता के मानचित्र के अनुसार ही करेगा।

4. यह कि प्रथम पक्ष नगर पंचायत नानौता के आवंटित प्लॉट नं० -6, पर निर्माण कार्य आवंटित/ द्वितीय पक्ष द्वारा ही किया जायेगा। द्वितीय पक्ष को ऊपरी मंजिल बनाने की छुट होग जिसका कोई किराया नहीं होगा।

5. यह कि उपरोक्त आवासीय प्लॉट नं०-6 में, मकान आदि बनाने में जो व्यय आयेगा वह किरायेदारी में समायोजित नहीं किया जायेगा।

6. यह कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष की परिभाषा में उनके वारिसान , एसाईनी, एकजीक्यूटर और ट्रांसफरी भी सम्मिलत होंगे।
7. यह कि किराये का भुगतान बिल प्राप्त होने पर प्रत्येक दशा में किया जायेगा। किराये का भुगतान समय पर ना किये जाने के कारण तथा किसी भी शर्त के उल्घन पर प्रदेश में प्रचलित कानून के अन्तर्गत कार्यावाही करने का प्रथम पक्ष नगर पंचायत नानौता को अधिकार होगा।
8. यह कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की अनुमति के बिना सम्बन्धित आवासीय प्लॉट नं 0 - 6 की किरायेदारी किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं करेंगे।
9. यह कि द्वितीय पक्ष यदि अपने मरने तक किरायेदारी के अधिकारों के सम्बन्ध में अपने अधिकार में किसी व्यक्ति को लायेगा तो निश्चित रूप से प्रथम पक्ष उसका आदर करेगा।
10. यह कि उपरोक्त आवासीय प्लॉट नं 0 - 6 पर निर्मित भवन में किसी भी प्रकार का आपत्ति जनक व क्षोभकार / व्यापार/ व्यवसाय करने की अनुमति कदापि नहीं दी जायेगी।
11. यह कि द्वितीय पक्ष को आवासीय प्लॉट नं 0-6 में अपने परिवार के किसी भी सदस्य को निवास कराने का अधिकार रहेगा। और इस सम्बन्ध में परिवार की परिभाषा में किरायेदार उसकी पत्नी उसी की आय पर आधारित उसके माता पिता एवं उसके व्यस्क बच्चे होंगे। विवाहित पुत्री व उसका पति निश्चित रूप से किरायेदारी के सदस्य नहीं माने जायेंगे।
12. यह कि उपरोक्त आवासीय प्लॉट नं 0-6 के निर्मित भवन में विद्युत एवं जल आदि की सुविधा अपने व्यय पर द्वितीय पक्ष अपने नाम से ही लेगा। तथा जिसका भुगतान द्वितीय पक्ष को स्वयं ही करना होगा तथा अन्य कर जो भी नगर पंचायत नानौता/ सरकार द्वारा लगाये जायेंगे वह द्वितीय पक्ष को स्वयं ही उसका भुगतान करना होगा।

  
कारा

  
अरिब लॉड

13. यह कि आवासीय प्लॉट नं०-6 का किराया अनुबन्ध के निष्पादन की तिथि के पश्चात दिनांक 1.04.11 से देय हो जायेगा। जो 30 वर्ष (तीस वर्ष) तक प्रभावी होगा।

14. यह कि 30 वर्षों (तीस वर्षों) के बाद किराये से वृद्धि की जायेगी तो वह वृद्धि रजिस्टर्ड अभिलेख से ही की जायेगी।

अतः यह किराये नामा हम दोनों पक्षों ने अपने-2 स्वस्थ मस्तिष्क स्थिर बुद्धि व स्वेच्छा से खुब सोच समझकर लिख दिया की प्रमाण भरे काफी समय तक काम आवें।

सा०

ह०  
गविनासा जी  
नगर, पंचायत-नानीक  
सहारनपुर

*[Handwritten signature]*

सा०

*[Handwritten signature]*

दिनांक-30.03.2011 Teh.-Rampur Mani. (SRB.)

टाईप कर्ता- पप्पू सिंह, कुराली

रचयिता:-

*[Handwritten signature]*  
Onkar Sharma

Block Master

Licensee

Teh.-Rampur Mani. (SRB.)



INDIA NON JUDICIAL

94

Government of Uttar Pradesh




IN-UP77098142237930X

32

e-Stamp

**Certificate No.** : IN-UP77098142237930X  
**Certificate Issued Date** : 03-Dec-2025 02:07 PM  
**Account Reference** : NEWIMPACC (SV)/ up15170304/ RAMPUR MANIHARAN/ UP-SHR  
**Unique Doc. Reference** : SUBIN-UPUP1517030450867664264424X  
**Purchased by** : GUFRAAN SIDDIQUI SO MOHD ASHFAQ SIDDIQUI  
**Description of Document** : Article 4 Affidavit  
**Property Description** : Not Applicable  
**Consideration Price (Rs.)** :  
**First Party** : GUFRAAN SIDDIQUI SO MOHD ASHFAQ SIDDIQUI  
**Second Party** : Not Applicable  
**Stamp Duty Paid By** : GUFRAAN SIDDIQUI SO MOHD ASHFAQ SIDDIQUI  
**Stamp Duty Amount(Rs.)** : 10  
(Ten only)



Please write or type below this in

शपथ पत्र

समक्ष - श्रीमान सक्षम अधिकारी महोदय ,

शपथ पत्र ओर से - गुफरान सिददीकी पुत्र मौ0 अशफाक सिददीकी निवासी मौ0 छत्ता कस्बा नानौता पर0 व तह0 रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर ।

यह कि शपथकर्ता निम्न कथन करता हूँ कि-

यह कि मेरा उपरोक्त नाम व पता सच व सही है ।



Gddip

IDENTIFIED BY

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

03-Dec-2025 02:07 PM 03-Dec-2025 02:07 PM

GUFRAAN SIDDIQUI SO MOHD ASHFAQ SIDDIQUI GUFRAAN SIDDIQUI SO MOHD ASHFAQ SIDDIQUI

---2---

2- यह कि मुझ शपथकर्ता की माता श्रीमति नसीम बानो पत्नी स्व० मौ० अशफाक सिददीकी ने मौ० शेखजादगान कस्बा नानौता मे सहारनपुर दिल्ली मार्ग के किनारे अरशा दराज पहले एक सम्पत्ति कय की थी कय करने के उपरान्त उस सम्पत्ति मे 4 दुकाने , पूरब मुहानी दिल्ली सहारनपुर मार्ग के किनारे भूतल पर व उनके ऊपर प्रथम तल पर 4 दुकाने व जानिब दक्षिण वाली गली मे 8 दुकाने दक्षिण मुहानी बनायी थी तथा जिनके उत्तर मे एक कोठा बैनामा कय करने से पूर्व का बना था , उक्त कोठे का निर्माण वर्ष बैनामा जात व मौके के अनुसार सन 1976 से पूर्व का है । मेरी माता ने उक्त सम्पत्ति का बैनामा आबादी मे लिया था क्योकि बावक्त बैनामा उसमे आबादी कायम थी , मौके पर बैनामा जात होने से पुर्व व मेरी माता द्वारा बैनामा लेने के बाद कभी भी तालाब नही रहा है व मौके पर हमारे मकान के चारो तरफ अरशा दराज से आबादी बनी हुई है ।

3- यह कि सहारनपुर दिल्ली मार्ग के समय समय पर भराव होने व पुनः निर्माण होने के कारण मुझ शपथकर्ता की माता के द्वारा जो निर्माण कराया गया था वह सडक से काफी नीचे पहुच गया था इस कारण रोजमर्रा व बरसाती पानी जमा होने के कारण तामिरात क्षतिग्रस्त होने के कारण तामिरात का कुछ भाग जर्जर होने के कारण गिर गया था उपरोक्त बैनामा लेने के बाद मुझ शपथकर्ता की माता ने उपरोक्त निर्माण करने के लिये टाउन पेरिया कमेटी नानौता से विधिवत रूप से नक्शा भी पास कराया था ।



यह कि उपरोक्त क्षतिग्रहस्त हिस्से व सभी दुकान का लेवल सडक के लेवल से नीचा होने के कारण पुरानी तामिरात की जगह पर ही मुझ शपथकर्ता व मेरे भाई अपनी माता की जानिब से नई तामिरात कर रहे थे जिसको देखकर क्षेत्र के भू माफिया व दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति गुलशन चौधरी पुत्र वेदपाल निवासी ग्राम टिकरोल थाना नानौता तहसील रामपुर मनिहरान जिला सहारनपुर ने मुझ शपथकर्ता व मेरे भाईयो को धमकी दी कि या तो मुझे 500000रू० दो नही तो मै तुम्हे तामिरात नही करने दुगां । जब मुझ शपथकर्ता व मेरे भाईयो ने गुलशन चौधरी उपरोक्त की नाजायज धमकी व मांग को अस्वीकार कर दिया तो उसने हमसे रंजिश रखते हुए , मुझ शपथकर्ता व मेरे भाईयो के खिलाफ तरह तरह के हथकण्डे व षडयन्त्र रचकर विभिन्न अदालतो / अधिकारीयो के समक्ष शिकायतो का दौरा शुरू कर दिया । गुलशन चौधरी उपरोक्त की इन बैजा हरकतो से तंग आकर मुझ

IDENTIFIED BY

*Giddig*

—3—

शपथकर्ता की माता श्रीमति नसीम बानो उपरोक्त ने गुलशन चौधरी उपरोक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय सिविल जज जू0डी0 देवबन्द में एक वाद सं0 224/2025 इन्जंक्सन सूट दायर करके गुलशन चौधरी उक्त के विरुद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त कर रखी है तथा उक्त वाद आज भी विचाराधीन है । हमारे द्वारा पुरानी दुकानों के स्थानों पर नई तामिरात को बजूम गिरोहबन्दी व नाजायज दबाव बनाकर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप जब उसे अपने अवैध मनसूबों में कहीं कामयाबी नहीं मिली तो उसने मुझ शपथकर्ता व मेरे भाईयों मौ0 शादमान , गुफरान सिददीकी , मौ0 अहकाम सिददीकी के विरुद्ध एक शिकायती प्रार्थना पत्र एन0जी0टी0 कार्यालय दिल्ली को भेज दिया है ।

5- यह कि मुझ शपथकर्ता व मेरे भाईयों ने किसी भी प्रकार से एन0जी0टी0 के द्वारा बनाये गये किसी भी कानून का उलंघन नहीं किया है ।

सत्यापन -यह कि शपथ पत्र का पैरा नं0 1 ता 5 मेरे जाति व इल्म में सच व सही है इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है ईश्वर सच बोलने में मेरी मदद करे ।



दिनांक - 03.12.2025

Witnessed & Verified Before Me

*[Signature]*  
03/12/2025

**KULDEEP SINGH PUNDIR**  
**ADVOCATE & NOTARY**  
Tehsil Rampur Manihawan  
Namakwa (Sic)

शपथकर्ता-

*[Signature]*

शपथकर्ता-

*[Signature]*



INDIA NON OFFICIAL





35

Government of Uttar Pradesh

IN-UP57202061432679X

e-Stamp

**Certificate No.** : IN-UP57202061432679X  
**Certificate Issued Date** : 22-Nov-2025 11:34 AM  
**Account Reference** : NEWIMPACC (SV)/ up14358904/ RAMPUR MANIHARAN/ UP-SHR  
**Unique Doc. Reference** : SUBIN-UPUP1435890411144426950668X  
**Purchased by** : ABDUL RAUF KHAN SO ABDUL WAHEED KHAN  
**Description of Document** : Article 4 Affidavit  
**Property Description** : Not Applicable  
**Consideration Price (Rs.)** :  
**First Party** : ABDUL RAUF KHAN SO ABDUL WAHEED KHAN  
**Second Party** : Not Applicable  
**Stamp Duty Paid By** : ABDUL RAUF KHAN SO ABDUL WAHEED KHAN  
**Stamp Duty Amount(Rs.)** : 10  
 (Ten only)



Please write or type below this line

शपथ पत्र

समक्ष:- सक्षम अधिकारी, जनपद सहारनपुर।

शपथ पत्र ओर से:- अब्दुल रउफ खान पुत्र अब्दुल वहीद खान निवासी नजदीक चौधरी पैलेस मोह० छत्ता नानौता देहात सहारनपुर उत्तर प्रदेश।

1. यह कि मेरा उपरोक्त लिखित नाम व पता सही व सच है।
2. यह कि मेरा मकान/दुकान दिल्ली रोड पर स्थित खसरा नम्बर 1578 में स्थित है।
3. यह कि मेरे द्वारा दिल्ली रोड पर स्थित मकान दिनांक 24-04-1987 को प्रवेश कुमारी पत्नी धर्मपाल से क्रय किया गया था। जिसका बैनामा मेरे पास उपलब्ध है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

4. यह कि मैं पिछले 38 वर्षों से अपने मकान पर काबिज हूँ। जब से मैं अपने मकान पर काबिज हूँ तब से यह भूमि समतल है और इस भूमि पर क्रय विक्रय हो रहे है।

यह कि शपथ पत्र का पैरा 01 ता 04 सब सच व सही है मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर सच बोलने में मेरी मदद करें।

दिनांक:-

ATTESTED  
 RAVINDRA SINGH  
 Advocate & Notary  
 GOVT OF INDIA  
 SAHARANPUR (U.P.)  
 9411673194

अ. रउफ खान  
 ह० शपथकर्ता

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified by using e-Stamp Mobile App of Stock Holding Corporation of India. Any discrepancy in the details on this Certificate and as reflected on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

22 NOV 2025

भारत सरकार  
Government of India

अब्दुल रऊफ खान  
Abdul Rauf Khan  
जन्म तिथि / DOB : 01/01/1955  
पुरुष / Male

आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं।  
इसका उपयोग सत्यापन (ऑनलाइन प्रमाणीकरण, या वयूआर कोड/  
ऑफलाइन एक्सएमएल की स्कैनिंग) के साथ किया जाना चाहिए।  
Aadhaar is proof of identity, not of citizenship  
or date of birth. It should be used with verification (online  
authentication or scanning of QR code / offline XML).

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
Unique Identification Authority of India

पता: द्वारा: अब्दुल वहीद खान, नज़दीक चौधरी  
पलेम, छत्ता, नानौता देहात, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश,  
247452  
Address: C/O: Abdul Waheed Khan,  
NEAR CHAUDHARY PALACE, chatta,  
Nanauta Dehat, PO:Nanauta,  
DIST:Saharanpur, Uttar Pradesh, 247452

7345

1947 help@uidai.gov.in www.uidai.gov.in



Handwritten vertical text on the left margin.

1. ~~कनाडा - 6000 रुपये~~
2. ~~मंगोलिया - 2500 रुपये~~
3. ~~विश्व बैंक - 2000 रुपये~~
4. ~~250 रुपये~~
5. ~~250 रुपये~~

मार्क - ~~...~~

~~...~~

~~...~~

~~...~~

~~...~~

~~...~~

Handwritten notes on the left side, including 'Aman Singh' and other illegible text.





102

28/11/22-11/87

11/25/22 [Signature]

प्रा. 25/11/22 30 [Signature] 11/25/22



इस प्रमाण पत्र को कृपया ध्यानपूर्वक जांचें।  
यदि इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो कृपया  
संशोधन के लिए रिपोर्ट से मुक्त किया।

[Signature]  
22/11/87





मार्गदर्शिका

यदि अर्थिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो

तुम्हें यह इच्छा हो कि गरीबों के अधिकारों को सुरक्षित रखो -

तो यह इच्छा हो कि जो गरीबों को एक इच्छा हो -

गरीबों को अधिकारों में अधिकार पलायन के दिशा -

गरीबों को एक इच्छा हो कि जो गरीबों -

लक्षणा के जोत (या) के रूप में व प्रत्येक -

जिस को (या) के रूप में जो गरीबों को -

जिस को (या) के रूप में जो गरीबों को -

284 22-4-87

11/2/87 *[Signature]*





नीचे पुकार  
आचार्य सूखी गंजिल

14257

*[Handwritten signature]*

पही न० १ जिरद

1578

306/307


कृष्ण - नं०-2230

पर आज दिनांक

20-5-87

राजस्ती की गाँ

*[Handwritten signature]*





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

89AE 076014

शपथ पत्र

समेकित - सक्षम अधिकारी जनपद सहारनपुर ।

शपथ पत्र और से:- श्री रमेश चन्द व केलाश चन्द पुत्रगण स्व हरी राम निवासीगण मोहल्ला काननगोयान कस्बा नानौता तहसील रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर ।

शपथकर्ता शपथपूर्वक ब्यान करता है:-

1. यह की हमारा उपरोक्त नाम व पता सब सच व सही है ।
2. यह की हमारी एक दुकान दिल्ली रोड पर स्थित खसरा नंबर 1578 मे स्थित है ।
3. यह की हमारा द्वारा दिल्ली रोड पर स्थित दुकान दिनांक 13/06/2002 को पुत्र से क्रय किया गया था । जिसका बैनामा मेरे पास उपलब्ध है । जिसकी छायाप्रति संलग्न है । जिसका मे बैनामा स्वामी हूँ ।
4. यह कि हम पिछले 23 वर्षों से अपने दुकान पर काबिज़ है । जब से मे अपनी दुकान पर काबिज़ हु तब से यह भूमि समतल है और इस भूमि पर क्रय विक्रय हो रहे है ।
5. यह की हम दोनों अपनी दुकान की नगर पंचायत नानौता की रसीद रसीद संख्या 1/166 समयअनुसार कटवा रहे है उक्त दुकान मे किरयाना का कार्य करते है । यह की शपथ पत्र का पैरा 01 ता 05 सब सच व सही है मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है । ईश्वर सच बोलने मे मेरी मदद करे ।

दिनांक:-

Sworn & Verified Before Me  
Reg. No. - 54923/25

GULSHAN KUMAR  
Advocate & Notary  
Civil Court, Saharanpur (U.P.)  
21/11/25

ह० शपथकर्तागण

*(Signature)*  
श्री रमेश चन्द

IDENTIFIED BY  
*(Signature)*

FORM No. 5  
Receipt  
NAGAR PANCHAYAT, NANAUTA

Book No. **391** Receipt No. **14**

Demand Register No. 2 मंडी चक, कलड़ा चक 510 हरियाणा

Received from शुभम शर्मा, माँ पुराण शर्मा भाज = 150-

Rupees (in words) एक सौ 22.5

On account of माता भाज = 1 127.5

Premises No. 166 माँ शर्मा

for the period 01-04-2025 31-03-2026 15-08

In full/part payment of demand bill No. .... Dated .....

नोट :- गृहकर/जलकर/जलमूल्य भुगतान की रसीद सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार का प्रमाण पत्र नहीं है इसका प्रयोग किसी भी न्यायालय में सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार के दावे के लिए नहीं किया जा सकता है, यदि कोई व्यक्ति इसका प्रयोग इस उद्देश्य में करता है तो यह स्वयं उत्तरदायी होगा।

Rs. 128- Executive Officer/Secretary  
Rahman  
Tax Collector  
Clerk Incharge of Demand  
and Collection Register  
Tax Superintendent

Dated 01/08/25

Cashier

Accountant

1095259  
**विक्रय-पत्र** दस्तावेज पर चस्पा फोटो मेरे द्वारा प्रमाणित है

- 1: बंनाना 170000/-
- 2: बाजारीकीमतानुसारनिर्धारित सर्किल रेट एवं किराया: 171600/-
- 3: विक्रय कियोगयाकुल क्षेत्रफल: 21.45 वर्गमी0 जो कुलछपाहुआ वाणिज्यक क्षेत्रफल है।
- 4: रेट प्रतिवर्गमी0 2000/-, किराया प्रतिवर्गमी0 20/- रुपये
- 5: देय स्टाप्प मु0 14000/-
- 6: विक्रीत जायदादके सम्बन्धोआजसे पूर्व कोई अनुबन्ध नही कियोगयाहै।
- 7: विक्रीत प्लाट का नक्शा संलग्न है।

मैंकि इन्तजामुलहक सिददीकी पुत्रश्री अहेशामुलहक सिददीकी जाति शेखजा पेशा व्यापार निवासीमोहल्ला बल्लीमारान दिल्ली-6काहूँ।

(विक्रेता)

जो कि प्रतिज्ञ निम्नलिखित सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी व अधिकारी है।

जो हर प्रकार भार/रहन/से मुक्त व स्वच्छ है और जिसमें मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भागीदार किसी प्रकार नहीं है और जिसके विक्रय करने का मुझे पूर्ण स्वत्व अधिकार प्राप्त है जो हमारे पूर्ण रूपेण कब्जे व अधिकार में है।

निम्नलिखित सम्पत्ति को केवल 170000/-एकलाख सत्तरहजार रुपये

कि आधे जिसके 85000/-पिचासी हजार रुपये

होते हैं

श्री हरीराम पुत्र स्वश्री आभाराम जाति छिम्पी पेशा येतीनिवासी मोहल्ला कानूनगोयान कस्बा नानोता परगना रामपुरतहसील देवबन्द जिला महारनपुर।

(क्रेता)

को बिना कोई अधिकार व हक सुरक्षित रखे हुये विक्रय कर दी व बेच दी और कुल विक्रय धन निम्नलिखित तौर पर प्राप्त कर लिया है और समस्त विक्रीत सम्पत्ति पर कब्जा व दखल तथा पूर्ण अधिकार क्रेता का करा दिया है अब मेरा या हमारे उत्तराधिकारी तथा स्थानापन्नों का विक्रीत सम्पत्ति या इसके धन से कोई सम्बन्ध शेष नहीं रहा है और न भविष्य में होगा। यदि मेरे स्वत्व या अधिकार के अभाव के कारण या भागीदार के उत्पन्न होने या अन्य किसी प्रकार नुक्स कानूनी के कारण कुल विक्रीत सम्पत्ति या उसका कुछ अंश क्रेता के कब्जे व अधिकार व मिलकियत से निकल जाये, कब्जा न मिले, किसी भार के कारण जिसको मैंने स्पष्ट न किया हो या भार चुकता करना पड़े तो क्रेता को अधिकार है कि अपना कुल रुपया या उसका अंश व्याज एवं हर्जा-खर्चा कानूनी इस सम्बन्ध में और जो कुछ भी हानि क्रेता को हुई हो अथवा इस सम्बन्ध में व्यय क्रेता को करना पड़ा हो वह सब हमारे तथा उत्तराधिकारियों एवं स्थानापन्नों से विक्रात सम्पत्ति अन्य हर प्रकार को चल-अचल सम्पत्ति व जात खास से जिस प्रकार चाहे वसूल करलें। विक्रेता एवं उसके स्थानापन्नों उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति किसी प्रकार से नहीं होगी। यह विक्रय-पत्र स्वस्थ चित्त व मस्तिष्क स्थिर बुद्धि एवं स्वेच्छा से लिख दिया कि प्रमाण रहे।

विवरण प्राप्त विक्रय धन मुझ विक्रेतानेक्रेता से मु0130000/-रुपयेपेशतर नकद प्राप्त प्राप्त करलियेहै व शेषमु040000/-रुपये समय रजिस्ट्रीबंनाना प्राप्तकरनेहै, कुल मु0170000/-रुपये

विवरण सम्पत्ति जो विक्रय की गयी है स्थित महारनपुर-दिल्ली रोड, कस्बा नानोता, मोहल्ला शेखजादगान, परगना रामपुरतहसील देवबन्द जिला महारनपुर। दुकान मुबैया नानोता बस स्टैन् चौराहे से लगभग 30 दुकानात केबाद जानिब दक्षिण मे स्थित है। --

110

170000

3400

10

3410

500

~~हरि राम~~ ~~10~~ ~~3410~~ ~~500~~

~~रखी निवासी मा. शकारत गोयल, नाला संभल~~

~~काल विना 13.06.2008 344-वर्ग~~

हरि राम

Signature

~~श्री इ. त. ज. मुख. एक~~ ~~हरि राम~~ ~~हरि राम~~ ~~हरि राम~~

~~रामपार~~ ~~हरि राम~~ ~~हरि राम~~ ~~हरि राम~~

हरि राम

Signature

हरि राम

हरि राम



हरि राम

हरि राम




१२१

11/11/2002  
 10/11/2002  
 देवनागरी  
 कोड DE  
 3300



म० बालेश्वर लाल  
 माल कोठें देवनागरी  
 July 2002



म० बालेश्वर लाल  
 415  
 बहसाल काट, देवनागरी


:: विवरण जायदाद मुबैया ::

दरोबरत एक किता दुकान पूरब मुहानी, जो दो खनी है, जिसे पेशणा छज्जा पुखता मय शटर आहानी, दुकान मुबैया की पैमायश विक्रय आसारो सहित पूरब ते पश्चिम 23 फुट 6ईच तेईत फुट 8: ईच व उत्तर ते दक्षिण 9 फुट 10ईच रूनी फुट दस ईच है.

EXISTING SHOP PLAN AT MOH. SHEKH JADGAN TOWN NANAUTA  
D. RAMPUR TEHSIL-DEOBAND (SRE)

SELLER: - SMT. SUDESH GOVAL S/O SRI RAJENDER KUMAR  
ATRIO MOH. KANANGUOYAN TOWN NANAUTA (SRE)

PURCHASER: - SRI HARIRAM S/O LATE SRI ASHARAM ATRIO MOH.  
KANANGUOYAN TOWN NANAUTA (SRE)



क्रम सं० 38

प्राणी द्वारा रखा जान वाला)

करने का दिनांक

गाम

38/7/2000

क 38/7/2000

शुल्क

शुल्कीकरण

3650/-

दिनांक 1/1/02

अपि या तलाश प्रमाण-पत्र

पार होगा

के हस्ताक्षर

13-6-02


**URENDRA KUMAR**

legd. Draughts Man

Reg. Area

DEBAND (Jaharanpur)

Liesence No. 05



उप कोषाधिकारी  
देवकन्य दिवस  
कोड DBD

उप कोषागार, देवकन्य  
भारतपुर

३३

जिस्का कुल विक्रीत क्षेत्रफल 21.45 वर्गमी० है। मय पूर्वी पाये , व पश्चिमी  
दिवार कुल, उत्तरी व दक्षिण दिवारोंकी आधी आधी मोटाई को तुकान  
की पैमायश सम्मर्मांत कर लिया है। जिनकी आधी आधी मोटाई शामिल ब्य है।

Subramaniam

30/11/24



13 JUN 2002

13/6/02  
 एन कोषाधिकारी  
 नं. 13/02  
 एन कोषाधिकारी  
 नं. 13/02

§4§

मय छत अमरी, जो आर०बी०सी० सेंटर की है, मय कुल आर०बी०सी० तहत, ता मिरा  
 पुरता मलबा हर एक प्रकार महदुदा जैल मय जुमलेक हफुकर एक प्रकार बाबत दुकान मुबिया  
 उपत। हदुदरबा :-

पूरब: नानोता दिल्ली सहारनपुर रोड, पश्चिम: प्लाट टाउन हरिया -

*Satyam/Haj*

*20/02*



13 JUN 2002 50/50  
 उप कोषाधिकारी  
 देवनागर  
 कोड 22  
 रुप कोष  
 बिजा महरन

§5§

उत्तर दुकान इन्तजानुतहक सिद्धदीकी & विक्रेता, दक्षिण दुकान श्रीमति  
 तुदेश नोपत ।-

\_\_\_\_\_  
 Jyoti V.

\_\_\_\_\_  
 3/5/02



13 July 2002 (A/S)

उप-निर्देशकारी  
 देना  
 सोम

सप-निर्देशकारी  
 देना

§6§

विशेष नोट :-  
 =====

§1§ यहकि यदि क्रेताको दुकान मुबैयाके आर आने जाने के लिए जीना की आवश्यकता पडतीहैतो क्रेताजानिब दक्षिणकी ओरही अपना जीना कायम करने का अधिकारी होगा।

*Subjunctive*

*Subjunctive*



13-6-2002  
 उप निदेशिका  
 कोष  
 1180  
 उप निदेशिका  
 बिना सहस्रनाम

§ 78

§ 28 यहकि दुकानमुध्याकी छत हरप्रकार से क्रेता कीही रहेगी।  
 विक्रेता को उससेकोई सम्बन्ध प्रेष नही रहाहै।

Subramaniam Har.

रामराम

S/O रामराम (उम 50 वर्ष 100 मी 0 कपडा जानान नानीला)

S/O रामराम  
 (उम 50 वर्ष 100 मी 0 कपडा जानान नानीला)


दिनांक : 13-6-2002 ई 0

टाईपकर्ता रामराम

सहस्रनाम रामराम

118

G SHOP PLAN AT MOH. SHEKH JADGAN TOWN NANAUTA  
 AMPUR TEHSIL-DEOBAND (SRE)  
 SMT. SUDESH GOVAL S/O SRI RAJENDER KUMAR  
 ATRIO MOH. KANANGOYAN TOWN NANAUTA (SRE)  
 RECHASER: SRI HARIRAM S/O LATE SRI ASHARAM ATRIO MOH.  
 KANANGOYAN TOWN NANAUTA (SRE)



*Intjant Hary*

*[Signature]*

*[Signature]*  
 13-6-02  
**SURENDRA KUMAR**  
 Regd. Draughts Man  
 Reg. Area  
 DEOBAND (Saharanpur)  
 Licence No. 05

शिवजीवादिनाम...  
 बस स्टेशन चौराहे से लगभग 30 दुकानात केन्द्र जानिव दक्षिण में स्थित है।

119

# भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये

TEN  
RUPEE



10

Rs.10



## INDIA NON JUDICIAL

शपथ पत्र

समक्षः सक्षम अधिकारी जनपद सहारनपुर |

89AE 076012

शपथ पत्र ओर से:- इम्तियाज हुसैन पुत्र/पत्नी श्री किफायत हुसैन निवासी मोहल्ला छत्ता कस्बा नानौता तहसील रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर |

शपथकर्ता शपथपूर्वक ब्यान करता है:-

1. यह की मेरा उपरोक्त नाम व पता सब सच व सही है |
2. यह की मेरा मकान/दुकान दिल्ली रोड पर स्थित खसरा नंबर 1578 मे स्थित है |
3. यह की मेरे द्वारा दिल्ली रोड पर स्थित माकन/दुकान दिनांक 24-01-2001 को आरिफ हुसैन पुत्र भगदिर हुसैन से क्रय किया गया था | जिसका बैनामा मेरे पास उपलब्ध है | जिसकी छायाप्रति संलग्न है |
4. यह कि मैं पिछले 24 वर्षों से अपने मकान/दुकान पर काबिज हु | जब से मे अपने मकान / दुकान पर काबिज हु तब से यह भूमि समतल है और इस भूमि पर क्रय विक्रय हो रहे है |
5. यह की मे अपनी दुकान की हाउस टैक्स की रसीद समय अनुसार कट व रहा हु उक्त दुकान मे साईकिल मिस्त्री का कार्य करता हु | यह की शपथ पत्र का पैरा 01 ता 05 सब सच व सही है मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है | ईश्वर सच बोलने मे मेरी मदद करे |

दिनांक:

Sworn & Verified Before Me  
Reg. No. 54923/25

GULSHAN KUMAR  
Advocate & Notary  
Civil Court Saharanpur (U.P.)

इम्तियाज हुसैन  
ह० शपथकर्ता

इम्तियाज हुसैन

IDENTIFIED BY

*[Signature]*

538

प्रती जैन  
२०१०, २०११

**विक्रय-पत्र** दस्तावेज पर चस्पा फोटो मेरे द्वारा प्रमाणित है

1-विक्रय पत्र 63000/-

2-बाजारी कीमत अनुसार रेट लिस्ट 62634/-

3-विक्रय किया गया कुल क्षेत्रफल 28.47 वर्ग मीटर जो कुल बगैर छपा वाणिज्यिक प्लॉट है।

4-रेट प्रति वर्ग मीटर 2200/-

5-देय स्टाम्प 5040/-

6-विक्रित सम्पत्ति मुख्य सड़क किनारे फन्ट पर स्थित है।

7-विक्रित सम्पत्ति के सम्बन्ध में इकरारनामा माहदा बैय तहरीर नहीं है।

8-विक्रित सम्पत्ति में कोई तामीरात किसी प्रकार की नहीं है।

9-विक्रित सम्पत्ति का आकृति मानचित्र पैमाईश सहित दस्तावेज के साथ संलग्न है।

10-विक्रित प्लॉट नानौता बस स्टेण्ड से दिल्ली की ओर लगभग 25 दुकानों के बाद स्थित है।

यह कि **आरिफ हुसैन** पुत्र श्री मजाहिर हुसैन जाति सैय्यद निवासी मौहल्ला चाहमंजली कस्बा नानौता परगना रामपुर तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर।-विक्रेता

जो कि प्रतिज्ञ निम्नलिखित अचल सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी व अधिकारी है।

जो हर प्रकार भार/रहन से मुक्त व स्वच्छ है और जिसमें मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भागीदार किसी प्रकार नहीं है और जिसके विक्रय करने का मुझे पूर्ण स्वत्व अधिकार प्राप्त है, जो हमारे पूर्ण रुपेण कब्जे व अधिकार में है।

निम्नलिखित सम्पत्ति को केवल मुबलिंग 63000/-तरेसठ हजार रुपये कि आधे जिसके मुबलिंग 31500/-इकत्तीस हजार पांच सौ रुपये होते हैं

बदस्त श्री **इमत्याज हुसैन** पुत्र श्री किफायत हुसैन जाति रोगनगर जाफरी निवासी मौहल्ला छत्ता कस्बा नानौता परगना रामपुर तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर।-क्रेता को बिना कोई अधिकार व हकूक सुरक्षित रखे हुए विक्रय कर दी व बेच दी और कुल विक्रय धन निम्नलिखित तौर पर प्राप्त कर लिया है और समस्त विक्रित सम्पत्ति पर कब्जा व दखल व पूर्ण अधिकार क्रेता का करा दिया है अब मेरा या हमारे उत्तराधिकारी तथा स्थानापन्नो का विक्रित सम्पत्ति या इसके धन से कोई सम्बन्ध शेष नहीं रहा है और न भविष्य में होगा। यदि मेरे स्वत्व या अधिकार के अभाव के कारण या भागीदार के उत्पन्न होने या अन्य किसी प्रकार नुक्स कानूनी के कारण कुल विक्रित सम्पत्ति या उसका कुछ अंश क्रेता के कब्जे व अधिकार व मिलकियत से निकल जाये, कब्जा न मिले किसी भार के कारण जिसको मैंने स्पष्ट न किया हो या भार चुकता करना पड़े तो क्रेता को अधिकार है कि अपना कुल रुपया या उसका कुछ अंश ब्याज एवं हर्जा खर्चा कानूनी इस सम्बन्ध में और जो कुछ भी हानि क्रेता को हुई हो अथवा इस सम्बन्ध में व्यय क्रेता को करना पड़ा हो वह सब हमारे तथा उत्तराधिकारियों एवं स्थानापन्नो से विक्रितसम्पत्ति व अन्य हर प्रकार की चल अचल सम्पत्ति व जात खास से जिस प्रकार चाहे वसूल कर ले। विक्रेता एवं उसके स्थानापन्नो उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति किसी प्रकार से नहीं होगी। अतः यह **विक्रय-पत्र** स्वस्थ चित्त व मस्तिष्क स्थिर बुद्धि एवं स्वेच्छा से लिख दिया कि प्रमाण रहे।

विवरण प्राप्त विक्रय धन :-विक्रेता ने कुल विक्रय धन मु० 63000/- क्रेता से रजिस्ट्री से पूर्व नकद प्राप्त कर लिये है।

विवरण सम्पत्ति जो विक्रय की गई है स्थित :-**मौहल्ला शोखजादगान (दिल्ली नानौता रोड) कस्बा नानौता परगना रामपुर तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर।**



1000Rs



25/12/2001

11/15

2086

PHOTO ATTACHED PHOTO ATTACHED



विवरण प्लाट मुंबेया

दरोबस्त हमगी व तमामी एक किता प्लाट

Handwritten notes and signatures on the left side of the page, including a vertical line and some illegible text.

1000Rs.



24 JAN 2009

14/59

2083

जिसकी पैमाईश जानिब पूरब (17 फुट 6 इंच) व जानिब पश्चिम (17 फुट 6 इंच) व जानिब उत्तर (17 फुट 6 इंच) व जानिब दक्षिण (17 फुट 6 इंच) जिसका कुल क्षेत्रफल 28.47 वर्ग मीटर है।

Handwritten signature and date: 20/1/09

1000Rs.



24 JAN 2001

RST  
 208/

3  
 1/

महदूदा जेल :-

1000Rs.



125  
 उप कोषाधिकारी  
 दिनांक  
 2080  
 दिनांक

3  
 3  
 1/2

पूरब :-दिल्ली रोड  
 पश्चिम :-सम्पत्ति विक्रेता

20 Rs.



उत्तर :-सम्पत्ति विक्रेता  
दक्षिण :-रास्ता आम

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

20 Rs.



विशेष नोट:-1-यह कि क्रेता प्लॉट उक्त में तामीरात करते समय अपने भवन के दरवाजे व खिडकी व रोशानदान व पानी रोजाना व बरसाती हर किस्म जानिब पूरब व जानिब दक्षिण की तरफ कायम करने का अधिकारी होगा अन्य किसी दिशा में कायम करने का अधिकारी नहीं होगा।

Handwritten notes in Hindi on the left margin, including the name 'अब्दुल क़ादिर' (Abdul Qadir) written vertically.

हो: \_\_\_\_\_ हो: \_\_\_\_\_

साक्षी: \_\_\_\_\_ साक्षी: \_\_\_\_\_  
 मो. इलाहवी % श्रीनगर  
 इन्हें वि. कस्तुरी भा. गौरी  
 मो. इलाहवी - 4/2, प. जलो

दिनांक:-24-01-2001 ई0

रचियता :-

Handwritten signature and date at the bottom right: '24/1/2001' and a signature.


PROPOSED PLAN OF THE SHOP OF IMTIAZ HUSSAIN

SITING KIFAYAT HUSSAIN AT THE KHAYADGAN NANAMATI

CHAJJA 2'6" WIDE

CONSTRUCTED SHOP OF ARIF HUSSAIN

SCALE



(3)   
 (4)   
 (5)   
 (6)   
 (7)   
 (8)   
 (9)   
 (10)   
 (11)   
 (12)   
 (13)   
 (14)   
 (15)   
 (16)   
 (17)   
 (18)   
 (19)   
 (20)   
 (21)   
 (22)   
 (23)   
 (24)   
 (25)   
 (26)   
 (27)   
 (28)   
 (29)   
 (30)   
 (31)   
 (32)   
 (33)   
 (34)   
 (35)   
 (36)   
 (37)   
 (38)   
 (39)   
 (40)   
 (41)   
 (42)   
 (43)   
 (44)   
 (45)   
 (46)   
 (47)   
 (48)   
 (49)   
 (50)   
 (51)   
 (52)   
 (53)   
 (54)   
 (55)   
 (56)   
 (57)   
 (58)   
 (59)   
 (60)   
 (61)   
 (62)   
 (63)   
 (64)   
 (65)   
 (66)   
 (67)   
 (68)   
 (69)   
 (70)   
 (71)   
 (72)   
 (73)   
 (74)   
 (75)   
 (76)   
 (77)   
 (78)   
 (79)   
 (80)   
 (81)   
 (82)   
 (83)   
 (84)   
 (85)   
 (86)   
 (87)   
 (88)   
 (89)   
 (90)   
 (91)   
 (92)   
 (93)   
 (94)   
 (95)   
 (96)   
 (97)   
 (98)   
 (99)   
 (100)

SECTIONAL ELEVATION

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including a signature that appears to be 'Arif Hussain' and some illegible text.

आयकर विभाग  
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA

IMTEYAJ HUSAIN

KIFAYAT HUSAIN


17/10/1967  
Permanent Account Number

AEDPH0747J

इमतेयज हुसैन  
Signature



18072009

 <p><b>भारत सरकार</b> Government of India</p> <p>इमतेयाज हुसैन Imteyaj Husain जन्म तिथि/DOB: 17/10/1967 पुरुष/ MALE</p>  <p>5951 0000 0000 0000 VID: 9132 8673 2065 8573</p> <p>मेरा आधार, मेरी पहचान</p>	 <p>भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण Unique Identification Authority of India</p> <p>पता: S/O क़िफ़ायत हुसैन, मोहल्ला छत्ता, नानौता देहात, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश - 247452</p>  <p><b>Address:</b> S/O Kifayat Husain, MOHALLA CHATTA, Nanauta Dehat, Saharanpur, Uttar Pradesh - 247452</p> <p>5951 0000 0000 0000 VID: 9132 8673 2065 8573</p> <p>QR Code with Photograph</p>
--	--



132

भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपयेTEN  
RUPEES

0

Rs. 10



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

89AE 076013

शपथ पत्र



समक्ष - एकल अधिकारी जनपद सहारनपुर ।

शपथ पत्र और से:- दरबारा सिंह उर्फ राजवीर सिंह पुत्र/पत्नी श्री धीरज सिंह निवासी मोहल्ला ग्राम घंसी पोस्ट नानौता तहसील रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर ।

शपथकर्ता शपथपूर्वक ब्यान करता है:-

1. यह की मेरा उपरोक्त नाम व पता सब सच व सही है ।
2. यह की मेरा मकान/दुकान दिल्ली रोड पर स्थित खसरा नंबर 1578 मे स्थित है ।
3. यह की मेरे द्वारा दिल्ली रोड पर स्थित माकन/दुकान दिनांक 26-2-2004 को श्रीमती नाति देवी पति पुत्र रमेश चन्द से क्रय किया गया था । जिसका बैनामा मेरे पास उपलब्ध है । जिसकी छायाप्रति संलग्न है ।
4. यह कि मैं पिछले 21 वर्षों से अपने मकान/दुकान पर काबिज हु । जब से मे अपने मकान / दुकान पर काबिज हु तब से यह भूमि समतल है और इस भूमि पर क्रय विक्रय हो रहे है ।
5. यह की मे अपनी दुकान की हाउस टैक्स की रसीद समय अनुसार कट व रहा हु उक्त दुकान मे किराना का कार्य करता हु ।

यह की शपथ पत्र का पैरा 01 ता 05 सब सच व सही है मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है । ईश्वर सच बोलने मे मेरी मदद करे ।

Sworn & Verified Before Me  
Reg. No. 5923/25GULSHAN KUMAR  
Advocate  
Civil Court Saharanpur (U.P.)  
दिनांक:- 21/11/20

ह० शपथकर्ता

IDENTIFIED BY

**विक्रय-पत्र** दस्तावेज पर चरपा फोटो मेरे द्वारा प्रमाणित है।

1: बेनामा 100000/- § 2: बाजारी कीमत अनुसार निर्धारित सर्किल रेट:  
99608/- रूपये § 3: विक्रय किया गया कुल क्षेत्रफल 12.45 वर्ग मीटर कुल छपा हुआ  
वाणिज्यिक क्षेत्रफल है। § 4: रेट प्रति वर्ग मीटर 20000/- § 5: निर्धारित किराया  
20/- रूपये प्रति वर्ग मीटर § 5: देय स्टाम्प 10000/- रूपये जो दो प्रतिशत न 0.00 विभाक्त  
सहित है § 6: विक्रीत जायदाद के सम्बन्ध में अगले पूर्व कोई अनुबन्ध नहीं किया गया है।  
§ 7: विक्रीत जायदाद का नक्शा संलग्न बेनामा है।

मैं कि श्रीमति कान्तीदेवी पत्नि श्री रमेशचन्द्र जाति हरिजन § चमार § निवासी  
मोहला शेखादगान कस्बा नानोता डा 0 खास परगना रामपुर तहसील देवबन्द  
जिला तहारनपुर।

(विक्रेता)

जो कि प्रतिज्ञ निम्नलिखित सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी व अधिकार है।  
जो हर प्रकार भार/रहन/से मुक्त व स्वच्छ है और जिसमें मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भागीदार किसी  
प्रकार नहीं है और जिसके विक्रय करने का मुझे पूर्ण स्वत्व अधिकार प्राप्त है जो हमारे पूर्ण रूपेण कब्जे  
व अधिकार में है।

निम्नलिखित सम्पत्ति को केवल 100000/- एक लाख रूपये

कि आधे जिसके 50000/- पचास हजार रूपये

श्री

दरबारासिंह उर्फ राजवीरसिंह पुत्र श्री धीरजसिंह जाति रोड पेशा खेती होते हैं  
निवासी ग्राम चौरा डा 0 जन्धेडी परगना रामपुर तहसील देवबन्द जिला तहारनपुर

को बिना कोई अधिकार व हकूक सुरक्षित रखे हुये विक्रय कर दी व बेच दी और कुल विक्रय  
धन निम्नलिखित तौर पर प्राप्त कर लिया है और समस्त विक्रीत सम्पत्ति पर कब्जा व दखल तथा पूर्ण  
अधिकार क्रेता का करा दिया है अब मेरा या हमारे उत्तराधिकारी या स्थानापन्नो का विक्रीत सम्पत्ति या  
इसके धन से कोई सम्बन्ध शेष नहीं रहा है और न भविष्य में होगा। यदि मेरे स्वत्व या अधिकार के  
अभाव के कारण या भागीदार के उत्पन्न होने या अन्य किसी प्रकार नुक्स कानूनी के कारण कुल विक्रीत  
सम्पत्ति या उसका कुछ अंश क्रेता के कब्जे व अधिकार व मिलकियत से निकल जाये, कब्जा ना मिले,  
किसी भार के कारण जिसको मैंने स्पष्ट न किया हो या भार चुकता करना पड़े तो क्रेता को अधिकार है  
कि अपना कुल रूपया या उसका अंश ब्याज एवं हर्जा-खर्चा कानूनी इस सम्बन्ध में और जो कुछ भी  
हानि क्रेता को हुई हो अथवा इस सम्बन्ध में व्यय क्रेता को करना पड़ा हो वह सब हमारे तथा  
उत्तराधिकारियों एवं स्थानापन्नो से विक्रीत सम्पत्ति अन्य हर प्रकार की चल अचल सम्पत्ति व जात खास  
से जिस प्रकार चाहे वसूल कर ले। विक्रेता एवं उसके स्थानापन्नो उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति  
किसी प्रकार से नहीं होगी। यह विक्रय-पत्र स्वस्थ चित्त व मस्तिष्क स्थिर बुद्धि एवं स्वेच्छा से लिख  
दिया कि प्रमाण रहे।

विवरण प्राप्त विक्रय धन मु 50000/- रूपये पर तर प्राप्त किया व मु 50000/- रूपये नकद


तमय रजिस्ट्री प्राप्त करवाये। कुल मु 50000/- रूपये

विवरण सम्पत्ति जो विक्रय की गयी है स्थित मोहला शेखादगान कस्बा नानोता परगना  
रामपुर तहसील देवबन्द जिला तहारनपुर रोड पेशा मुख्य चौरादे  
तेल भा 25-26 पुरानात के बाद वापस है।

कान्तीदेवी


दरबारासिंह उर्फ राजवीरसिंह





डेवोन्दे  
बहुचौक काट देवबन्ध

काञ्ची देवी



डॉ. बालदेव सिंह  
डेवोन्दे  
बहुचौक काट देवबन्ध

उप-कोषाधिकारी  
उप-कोषागार, देवबन्ध (सं.पुर.)  
दस्तावेज नं. 3990

दस्तावेज नं. 26  
3990

:: संपत्ति काट मुद्रा ::

परीक्षित नुमा पुरमुलान्ती नैमा-समूह के अन्तर्गत 10/10/1973  
व उत्तर से दक्षिण 88 आठक फीट का तल्लुगु व तल्लेकल 124.4 फीट का  
तामिरा मुलता तल्ले व तौर उन्म बाउर तालान्ती, न्य 80 अमरा, न्य मुल  
दाल्लुगु तल्ले प्रकारवा तल्ले पिपिये मुवाठ तल्ले नुमावै तल्ले तल्ले  
पुरा ताल्लुगु तल्ले तल्ले सरकारी तल्ले तल्ले तल्ले तल्ले तल्ले तल्ले तल्ले  
पिपिता दक्षिण: तल्ले तल्ले तल्ले तल्ले तल्ले तल्ले तल्ले तल्ले तल्ले तल्ले

काञ्ची देवी

वरवारा सिंह उर्फ राजवीर सिंह

136

कथ सं. 116 दि. 26/2/04  
मम दूरवर्षादि शिवाका सापत्नीयदि 2000 एरकीदि  
मे है नाम निवासी बाहर  
नवीन  
कमार शर्मा स्वामि विवेका  
न. देववन्द (सहारनपुर)

~~देववन्द शर्मा (सहारनपुर)~~



~~वान्ती देवी~~



~~रमेश चन्द~~




~~वहादुर~~



प्रत्यक्षतः भद्र साक्षी यहाँ  
लियमानु

के अंगुष्ठ चिन्ह  
के दिने गते है

26/2/04



उप-कोषाधिकारी  
 उप कोषागार, देवबन्द (सं.)

१३१

दिनांक- 26 Feb 2004  
 3997  
 दस्तावेज क्रम सं. ....

विशेष नोट :-  
 दुकान उत्तरी दिवार निवपूरख व उत्तरी दिवारे तन्हा क्रेता  
 की रोडगी तथा पश्चिमी दिवार आधी मोटाई तक शा मिलवये है।  
 तथा दक्षिण दिवार तन्हा 30 मरान की है।

कान्ती देवी

वरनारा सिंह उर्फ राजबिर सिंह

सो २ मेश चन्द ५० और सुन्दर राम वरना नानोता और शेरवजा

सो लडादुर सिंह और चौरा सिंह जाँवे - चौरा परगना रामपुर

दिनांक 26/2/2004 ई०

टाईपकर्ता २६५५

र वियता

*[Handwritten Signature]*

एडमिटर  
 उप-कोषागार, देवबन्द

138

इस स्टाम्प काम का हिस्सा है।

06 26/2/04 10888

बही नं० 1

स्टाम्प दि०  
देवबन्द (मन्दावनपत्र)

बही नं० 1 दि० 2751  
में नम्बर 1643 के पृष्ठ 14/148  
को रजिस्ट्रार का कार्रवाई दि० 26/2/04


*Signature*

उप-निर्देशक  
देवबन्द


EXISTING SHOP PLAN AT MOH. SHEKHJADGAN NANAUTA,  
DELHI - SRE. ROAD, AT DISTANCE OF 25, 26 SHOPS FORMAIN CH  
P-RAMPUR TEH- DEOBAND (SRE)

SELLER — SMT KANTI DEVI W/O RAMESH CHAND ATRIO MOH.  
SHEKHJADGAN TOWN NANAUTA, P-RAMPUR (SRE)

PURCHASER — DARBARA SINGH UAF RAJBEEB SINGH S/O SRI  
DHERAJ SINGH ATRIO VILL. CHORA, POST-JANDHERA  
P-RAMPUR TEH- DEOBAND (SRE)



TOTAL AREA  
12.45 M<sup>2</sup>  
SCALE 1/8" = 1'



Handwritten signatures and notes, including 'चलनी देवी' and 'दरबारा सिंह 30'.

**Surendra**  
REGD. DRAUGHTSMAN  
REGULATED AREA  
LICENCE NO. - 05  
DEOBAND (SRE)

आयकर विभाग  
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA

DARSARA SINGH  
DHIRAJ SINGH  
15/07/1972  
FOXP80528D



भारत सरकार  
Government of India

दरबार सिंह  
Darbara Singh  
जन्म तिथि DOB: 15/07/1972  
लिंग / GENDER: MALE



6822

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विभिन्न पहचान प्राधिकरण  
Unique Identification Authority of India

पता: आत्मज, धीरजसिंह, चौरा,  
नानौता देहात, सहारनपुर, ननौता,  
उत्तर-प्रदेश, 247452

Address: S/O: Dheeraj Singh, Chaura,  
Nanauta Dehat, Saharanpur, Nanauta  
Uttar Pradesh, 247452

6822

1947  
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

141

FORM No. 5


Receipt

Receipt No.

NAGAR PANCHAYAT, NANAUTA

Book No.

233



Demand Register No.

दरवारसिंह जेठ राजवी 25/10 की राजसिंह

Received from

अमित ताल 2000 का 2022 मास = 320

Amount (in words)

रुपय 320

320 = 48

Account of

आता 2022 का 1

272

Receipts No.

1576

For the period

दि 1/4/2022 से 31/3/2023 तक

Full/part payment of demand bill No.

Dated

गृहकार/जलकार/जलमूल्य भुगतान की रसीद सम्बन्धी अधिकार का प्रमाण पत्र नहीं है इसका प्रयोग किसी भी न्यायालय में सम्बन्धी अधिकार को दावे के लिए नहीं किया जा सकता है, यदि कोई व्यक्ति इसका प्रयोग इस अन्देजे में करता है तो यह स्वयं उत्तरदायी होगा।

Executive Officer/Secretary


Received

14/05/2022

Signature

Amount

Tax Collector  
Clerk Incharge of Demand  
and Collection Register  
Tax Superintendent



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

शपथ पत्र

89AE 076024

समक्ष:- सक्षम अधिकारी जनपद सहारनपुर।

शपथ पत्र और से:- श्रीमती बेबी देवी पत्नी श्री सुखदेव निवासी मोहल्ला अफगनान कस्बा नानौता तहसील रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर।

शपथकर्ता शपथपूर्वक ब्यान करती है:-

1. यह की हमारा उपरोक्त नाम व पता सब सच व सही है।
  2. यह की हमारी एक मकान दिल्ली रोड पर स्थित खसरा नंबर 1578 मे स्थित है। जो मेरी निजी संपत्ति है जो मेने श्रीमती अलका शर्मा पत्नी नरेश चन्द शर्मा से खरीदी है
  3. यह की मेरा मकान दिल्ली रोड पर स्थित मकान दिनांक 10-07-2019 मे बेनामा कराया जिसका कुल क्षेत्रफल 83.65 वर्ग मीटर जिसमे धरातल पर छपा रकबा वर्ग मीटर तथा अवशेष खुला रकबा वर्ग मीटर है जिसका बैनामा मेरे पास उपलब्ध है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है। जिसका मे बैनामा स्वामी हूँ।
  4. यह कि मे पिछले 6 वर्षो से अपने मकान पर काबिज़ हूँ। जब से मे अपने मकान पर काबिज़ हु तब से यह भूमि समतल है और इस भूमि पर क्रय विक्रय हो रहे है।
  5. यह की मे अपनी मकान की नगर पंचायत नानौता की रसीद रसीद संख्या समयअनुसार कटवा रही हूँ
- यह की शपथ पत्र का पैरा 01 ता 05 सब सच व सही है मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर सच बोलने मे मेरी मदद करे।

Sworn & Verified Before Me  
Reg. No. 54923/25

GULSHAN KUMAR  
Advocate & Notary  
Civil Court Saharanpur (U.P.)  
24/11/24

IDENTIFIED BY

ह० शपथकर्तागण

विक्रय-पत्र दस्तावेज पर चस्पा फोटो मेरे द्वारा प्रमाणित है।

मोनु कुमार एडवोकेट

रजि० नं०-7853/2014

तह०-रामपुर मनि०, सहारनपुर

मो० नं०-9675437844

1-बैनामा-450000/-रु०

2-बाजारी कीमत(अनुसार सर्किल रेट)=468440/-

3-देय स्टाम्प =28200/-रु०, 2प्रतिशत न०प०वि०शुल्क सहित।

4-सम्पत्ति का विवरण:-प्लाट

5-सम्पत्ति स्थित:-मौ०शेखजादगान कस्बा नानौता परगना व तहसील रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर जो सेगमेण्ट के अन्तर्गत नहीं है बल्कि 12फुट यानि 3.66मी० चौड़े रास्तों पर स्थित है।

6-विक्रय किया गया क्षेत्रफल:-83.65वर्ग मी०,

7-सर्किल रेट अनुसार:-5600प्रति वर्ग मी० अनुसार रेट लिस्ट के पृष्ठ सं० 30 कार्लेम सं०-0021

8-नक्शा मानचित्र साथ संलग्न है।

9-विक्रित प्लाट नगरपालिका क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत है।

10-महिला क्रेताणी होने पर 6प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

मैं कि- श्रीमति अलका शर्मा पत्नि नरेश चन्द शर्मा जाति ब्राहमण पेशा गृहकार्य निवासी प्रकाश कुंज विहार मौ०शेखजादगान कस्बा नानौता परगना व तहसील रामपुर मनि० जिला सहारनपुर आ०सं०-6795 9865 7127 पैन सं०-BVJPS6528N (विक्रेताणी)

जो कि विक्रेता निम्नलिखित सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी व अधिकारी है। जो हर प्रकार के भार/रहन आदि से मुक्त व स्वच्छ है जिसमे विक्रेता के अतिरिक्त अन्य कोई शख्स किसी प्रकार भागीदार नहीं है जिसको विक्रय करने का विक्रेता को पूर्ण स्वत्व अधिकार प्राप्त है जो विक्रेता के पूर्ण रूपेण कब्जे व अधिकार मे है। निम्नलिखित सम्पत्ति को केवल मुबलिय 450000/-चार लाख पचास हजार रूपये जिसके आधे मुबलिय 2,25,000/-दो लाख पच्चीस हजार रूपये होते है।

बदस्त- श्रीमति बेबी देवी पत्नि सुखदेव जाति उपाध्याय पेशा गृहकार्य निवासी मौ०अफगानान कस्बा नानौता परगना व तहसील रामपुर मनि० जिला सहारनपुर आ०सं०-9337 5432 9323 (क्रेताणी)

यह कि विक्रेता ने क्रेता को बिना कोई अधिकार व हकूक सुरक्षित रखे हुये विक्रय कर दी व बेच दी और कुल विक्रय धन निम्नलिखित तौर पर प्राप्त कर लिया है और समस्त विक्रित सम्पत्ति पर कब्जा व दखल तथा पूर्ण अधिकार क्रेता का मौके पर करा दिया है अब विक्रेता का विक्रित सम्पत्ति पर कब्जा व दखल तथा पूर्ण रहा है और न भविष्य में होगा। यदि विक्रेताणी के स्वत्व या अधिकार के अभाव के कारण या भागीदार के उत्पन्न होने या अन्य किसी प्रकार नुक्स कानूनी के कारण कुल विक्रित सम्पत्ति या उसका कुछ अंश क्रेता को कब्जे व अधिकार क्रेता को चूकता करना पड़े तो क्रेता को अधिकार है कि अपना कुल रूपया या उसका अंश ब्याज एवं हर्जा खर्चा कानूनी इस सम्बन्ध में और जो कुछ भी हानि क्रेता को हुई हो अथवा इस सम्बन्ध में व्यय क्रेता को करना पडा हो वह सब विक्रेता एवं उसके उत्तराधिकारियों से विक्रित सम्पत्ति अन्य हर प्रकार की चल व अचल सम्पत्ति व जात खास से जिस प्रकार चाहे वसूल कर ले। जिसमे विक्रेता एवं उसके स्थानापन्न उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति किसी प्रकार से नहीं होगी। अतः यह विक्रय-पत्र स्वस्थ चित्त व मास्तिष्क स्थिर बुद्धि एवं स्वेच्छा से लिख दिया कि प्रमाण रहे हति।

ह०

ह०



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CY 371569

मो. कुमार  
रजि. नं०-7853/2014  
वहो-सहारापुर  
मो. नं०-9075437864



मो. कुमार एडवोकेट  
रजि. नं०-7853/2014  
वहो-सहारापुर  
मो. नं०-9075437864

विवरण प्राप्ति विक्रय धन:-कुल विक्रय धन मु० 450000/-रुपये, मे से मु० 20,000रुपये मुझ विक्रेताणी ने क्रेताणी से बतौर ब्याना नकद प्राप्त कर लिये थे व शेष मु० 4,30,000रुपये मे से मु० 2,30,000रुपये मुझ विक्रेताणी ने क्रेताणी से द्वारा बैंक सं०-771521 व मु० 2,00,000रुपये द्वारा बैंक सं०-771522 प्रत्येक पी०एन०बी०शाखा पाण्डुखेडी, नानौता दिनांकी 10.07.2019ई० से प्राप्त कर लिये है। इस प्रकार मुझ विक्रेताणी ने क्रेताणी से मु० 450000रुपये उपरोक्तानुसार प्राप्त कर लिये है।

*James*






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CY 373211

-6-

दरोबस्त एक किता प्लाट उत्तर मुहाना जिसकी पैमाइशी जानिब  
 पूरब 47फुट 2इंच जानिब पश्चिम 47फुट 2इंच जानिब उत्तर  
 19फुट जानिब दक्षिण 19फुट है।





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CY 371571

-4-

जो सेगमेंट के अर्न्तगत नहीं है।

*Janu*

ⓑ 





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CY 371570

-3-

-:विवरण प्लॉट मुबैया:-

स्थित:- मौ०शेखजादगान कस्बा नानौता परगना व तहसील रामपुर  
मनिहारान जिला सहारनपुर

*Devi*



(B)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 555669

-7-

जिसका कुल क्षेत्रफल 100वर्गगज यानि 83.65वर्गमी० है।

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-8-

विक्रित प्लॉट हर प्रकार के भार आदि से बरी है। मय जुमले हक  
हकूक हर एक प्रकार बाबत प्लॉट मुबैया उक्त।

*James*

(B)

150



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 555671

-9-

विक्रय प्लॉट की सीमार्ये :-

पूरब:- प्लॉट श्री धनपाल

पश्चिम:- प्लॉट रामवती व अनिता देवी

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_



151



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


BN 823023

-11-

विक्रेता प्लॉट विक्रेताणी की स्वयंअर्जित सम्पत्ति है जिसकी रजि० का इन्द्राज बही नं० 1 जिल्द 377 के पृष्ठ 53-72 नम्बर 5385 दिनांक 14.09.2010 कार्यालय रामपुर मनिहारान दर्ज है।

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



BW 823022

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-10-

उत्तर:- रास्ता 12फुट यानि 3.66मी० चौडा  
 दक्षिण:- सम्पत्ति नगर पंचायत नानौता


*Daner*  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

SITE PLAN OF PLOT SITUATED AT  
 MOHALLA - SHEKHZADGAN KASBA  
 NANAUTA TEHSIL RAMPUR MANIHARAN  
 DISTT SAHARANPUR

OWNER:- → Smt ALKA SHARMA  
 W/O SH NARESH CHAND SHARMA  
 R/O.

PURCHASER:- → Smt BEBY DEVI  
 W/O SUKHDEV R/O AEGANAH

AREA:- → TOTAL AREA = 100 SQYD  
 = 83.65 SEMT.



समीक्षित में  
 आधीय (आधीय)

PROPERTY OF NAGAR  
 PANCHAYAT NANAUTA



154

भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपयेTEN  
RUPEES

Rs. 1



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

89AE 076011

शपथ पत्र

समक्ष - सक्षम अधिकारी जनपद सहारनपुर ।

शपथ पत्र और से:- श्री तनवीर पुत्र श्री जान आलम व श्रीमती बिलकिस पत्नी महबूब अली  
निवासी मोहल्ला शेखजादगान कस्बा नानौता तहसील रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर ।  
शपथकर्ता शपथपूर्वक ब्यान करता है:-

1. यह की हमारा उपरोक्त नाम व पता सब सच व सही है ।
2. यह की हमारा मकान दिल्ली रोड पर स्थित खसरा नंबर 1578 मे स्थित है ।
3. यह की हमारा द्वारा दिल्ली रोड पर स्थित मकान दिनांक 03/12/2001 को पुत्र से क्रय किया गया था । जिसका बैनामा मेरे पास उपलब्ध है । जिसकी छायाप्रति संलग्न है । जिसका मे बैनामा स्वाामी हूँ ।
4. यह कि हम पिछले 24 वर्षों से अपने मकान पर काबिज़ है । जब से मे अपनी दुकान पर काबिज़ हु तब से यह भूमि समतल है और इस भूमि पर क्रय विक्रय हो रहे है ।
5. यह की हम दोनों अपने मकान की नगर पंचायत नानौता की रसीद बिलकिस पत्नी महबूब अली रसीद संख्या 1/218 समयअनुसार कटवा रही है उक्त मकान मे निवास करते है । यह की शपथ पत्र का पैरा 01 ता 05 सब सच व सही है मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है । ईश्वर सच बोलने मे मेरी मदद करे ।

Sworn & Verified Before Me  
Reg. No. - 549 दिनांक:-

GULSHAN KUMAR  
Advocate & Notary  
Civil Court Saharanpur (U.P.)

IDENTIFIED BY

ह० शपथकर्तागण

तनवीर

155



दस्तावेज पर चस्या फोटो मेरे द्वारा प्रमाणित है.

विक्रय-पत्र आवासीय भूखण्ड

- 1-बैनामा 60,000/-रुपये
- 2-बाजारी कीमत अनुसार रेट लिस्ट 1,60,000/-रुपये
- 3-विक्रय किया गया कुल क्षेत्रफल 177.40 वर्ग मीटर जो कुल बगैर छपा है।
- 4-रेट प्रति वर्ग मीटर 900/-रु०
- 5-देय स्टाम्प 12,800/-रु०
- 6-विक्रय प्लॉट नजूल सम्पत्ति नहीं है।
- 7-विक्रित प्लॉट का नक्शा साथ संलग्न है।

12000/-  
 तनवीर खान  
 156

60000  
 100000

32000  
 तनवीर खान  
 रवठी


32000  
 लाल महल  
 लडाकवाण्डा

30000  
 रामधर

आशुजा - 364

तापवीर

Amish  
 आशुजा



311 लोधाधिकार  
दिनांक  
5/6  
देवबन्द  
सहारनपुर

हम कि मीर सिंह पुत्र जगू सिंह जाति सैनी निवासी मौ० शेखजादगान कस्बा नानौता परगना रामपुर तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर। (विक्रेता)

जो कि प्रतिज्ञ निम्नलिखित अचल सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी व अधिकारी है। जो हर प्रकार भार/रहन से मुक्त व स्वच्छ है और जिसमें मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भागीदार किसी प्रकार नहीं है और जिसके विक्रय करने का मुझे पूर्ण स्वत्व अधिकार प्राप्त है, जो हमारे पूर्ण रुपेण कब्जे व अधिकार में है। निम्नलिखित सम्पत्ति को केवल मुबलिय 60,000/- (साठ हजार) रुपये कि आधे जिसके मुबलिय 30,000/- (तीस हजार) रुपये होते हैं

मीर सिंह  
14/1/5

21 अथवा  
1987

प्राप्त व प्रमाण

हस्ताक्षर

कमीर लिट डोजर लिट नि. शेरबाखान, 1110  
केकेवा व तन्वीर डार व श्रीमती विसनिरापा मारुव  
इ-तवाड 2470

डोजर लिट  
जडीबापाडा

मागील डोजर लिट डार

मार्क

31/2/87

विसनिरापा



प्राप्त व प्रमाण

मार्क  
31/2/87



1127

से निकल जाये, कब्जा न मिले किसी भार के कारण जिसको हमने स्पष्ट न किया हो या भार चुकता करना पड़े तो क्रेतागण को अधिकार है कि अपना कुल रुपया या उसका कुछ अंश ब्याज एवं हर्जा खर्चा कानूनी इस सम्बन्ध में और जो कुछ भी हानि क्रेतागण को हुई हो अथवा इस सम्बन्ध में व्यय क्रेतागण को करना पड़ा हो वह सब हमारे तथा उत्तराधिकारियों एवं स्थानापन्नो से विक्रित सम्पत्ति व अन्य हर प्रकार की चल अचल सम्पत्ति व जात खास से जिस प्रकार चाहे वसूल कर ले। विक्रेता एवं उसके स्थानापन्नो उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति किसी प्रकार से नहीं होगी। अतः यह विक्रय-पत्र स्वस्थ चित्त व मस्तिष्क स्थिर बुद्धि एवं स्वेच्छा से लिख दिया कि प्रमाण रहे।

